हो संख्या डी. ए**ल.—33001/93** 



## त्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1993/अग्रहायण 27, 1915

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1993/AGRAHAYANA 27, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उर्व-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के पंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्य्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवोज, उपनियम आवि सीम्मिलत हुँ)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1993

क्षा.का.नि. 513--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्प्यूटर केन्द्र (वर्ग 1 और में 2 पद) भर्ती नियम, 1972 और (कम्प्यूटर केन्द्र) सांख्यिकी विभाग, अपर निदेशक, समूह "क" (कम्प्यूटर केन्द्र) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के विवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है योजना मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्मति का विनियमन करने के लिए किया वार्ति हैं, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्प्यूटर केन्द्र, सांध्यिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1993 है।
- (4) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख क़ो प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना : ये निय इनम नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिद्धि पदों को लागू होंगे ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वतनमान वे होंगे, जो उक्त धनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4 भर्ती को पढ़ित, स्रायु सीमा और अन्य ऋहुँताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, श्रायु सीमा, श्रहुँताएं और उनसे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जी पूर्वोक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिदिष्ट हैं।

2774 GI/93-1

(2)

वांछनी

गित्रसि और

5 निरर्ह्ता : वह व्यक्ति--

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनो पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उन्त पर पर नियुवित की पात्र नहीं होशा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वोय विधि के प्रवी अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य ग्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने को शिवत: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7, त्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रमाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार होता इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपायन्ध करना अपेक्षित है।

-			ग्रनुसूची			
पटुद क <i>।</i> नाम	पदों की संख्या	वर्शीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीक्षे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए धायु सीमा	सेना में जोड़े वर्षों का फायदा सिविल सेवा नियम 1972 के 30 के ग्रधीन है या नह
1	2	3	4	5	6	7
. अपर निरेणक	1* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क', राजपत्नित,	100-125- 1850-150- 300 हमये	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार गरकारी सेवनों के लिए पांच वर्ष तक शिष्टित की जा सकती है।) दिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निणीवक तारीख भारत में अभ्यथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिर्देशों। (न कि वह अंतिम तारी जो असम, मेवालय, अहणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड लिपुरा, सिनिकम, जम्मू-कम्मी राज्य के लहाख खंड' हिमाचल प्रदेश के लाहील आर स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अस्पर्थियों के लिए विहि	में थि ख ज उ र देश
भर्ती किए जाने वाले अर्हुताएं	व्यक्तियों के लिए	चपेक्षित शैक्षिक और घ्रन्य	साधे भर्ती किए ज विहित ग्राय औ		ों के लिए परिवीक्षा की श्रवधि, एं प्रोन्नन व्यक्तियों	यदि कोई ही
				रशा में लागू होगी		
	8		9		10	
(मांख्यिकी ग्रर्थशास्त्र में	सहित)/मंत्रियाः '(सांख्यिकी सर्	विद्यालय से सांख्यिकी/गरि प्रनुसंघान/भौतिक विज्ञान य हेत) सास्टर डिग्नी या कम ान में डिग्नी या समतुल्य ।	त :य-	: हां	साध्ये भर्ती किए जाने व 1 (एक) वर्ष।	वाले व्यक्तियों हे

इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर ग्राधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का बारह वर्ष का ग्रनुभव जिसमें से कम से कम 6 (छह) वर्ष का ग्रनुभव वास्तविक कम्प्यूटर कार्यक्रमण और तंत्र या भ्रभिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुव्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी, हैसियत में होना चाहिए।

- कम्प्यूटर इंजानियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या भ्राषश्यक भ्रहेताओं में उल्लिखित किसी भ्रन्य विषय में डाक्टरेट।
- तंत्र विश्लेषण/उन्नत कम-यूटर तंत्र पर कार्यक्रमण में प्रशिक्षण।
- डाटा ग्राधारित प्रबंध सूचना तंत्र के विकास या बड़े पैमाने पर सांख्यिकाय सर्वेक्षण का डाट। संसाधन और ऐसे उपयोजन के लिए प्रक्रिया सामग्री के विकास के क्षेत्र में
- विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का ग्रनुभव।

- ग्रहंताएं ग्रन्थया सुग्रहित ग्रभ्यियो का दशा में संघ लोक सेवा भ्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकतो है।
- ग्रनुभव संबंधी ग्रहेंता (ग्रहेंताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार ग्रनुसूचित जातियों और ग्रनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकता है (हैं) जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग की यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के श्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने को संभावना नहीं हैं।

क्तीं को पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्या-गन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानन्तरण द्वारा भर्ती को दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा

और दोनों केन ही सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

ब्रोन्निति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा संयुक्त निदेशक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

## प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रोय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का ऐसा श्रधिकारी :--(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद घारण किए हुए हैं :

- (2) जिन्होंने 3700- 5000 ह. या समतुल्य वेसनमान बाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (3) जिन्होंने 3000- 5000 ह. या समतुल्य वेतनमान बाले पदों पर ,''सात'' वर्ष नियमित सेवा की है; और
  - (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के प्रधीन सोधे भर्ती फिए जाने वाके व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी प्रहुंक/ पालता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विवार किया जा रहा हों, वहां उनसे ज्योष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विवार किया जायगा परन्तु यह तब जब कि उनकी सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नतिकी सीधी पंक्तिः में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विवार किए जाने के पान नहीं होंगे ।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी प्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी प्रन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 (चार) वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके यन्तर्गत यन्पकालिक संविता भी है)/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम अपू-सीमा यावेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा था।ोग से.परामर्श किया जायना

14

समूह ''क'' विभागीय प्रोज्ञति समिति ः (प्रोज्ञति के संबंध में विचार करने के लिए)ः

- 1: अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा ग्रायोग--- श्रध्यक्ष
- महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग—सदस्य ।
- 3. भृख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नथूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी
- कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)
- सचिव, सांख्यिकी विभाग--- श्रध्यक्ष
- 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग---सदस्य।
- मृख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग---सदस्य।
- कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--- सदस्य ।

टिप्पणः सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोक्तित समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थं भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोक्तित समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी। सीधी मर्ती और किसी अधिकारी की पद पर प्रतिनिवृत्ति पर निवृत्ति के लिए चयन करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक है।

					श्रमहामण २७: 1915	2123
II:—खण्ड 3 (	i)]		भारत का राजपत्न : दिसम्ब	T 18, 199	3/446144 27, 1313	7
1	2	3	4	5	U	
	* /	साधारण केन्द्रीय सेवा,	3700-125-4700-	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं	हां
क्त निदेशक	4" (1993)	समूह 'क' राजपतित,	150-5000€.		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	
	*कार्यभार के	ग्रतनुसचिवीय			अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष	
	ग्राधार पर				तक शिथिल की जा सकती है।)	
	परिवर्तन				टिप्पण : ग्रायु सीमा ग्रवधारित करने	
	किया जा				के लिए निर्णायक तारीख भारत में	
	सकता है।				ग्रभ्यथियों से ग्रावेदन प्राप्त करने	
					के लिए नियत की गई अंतिम	
					तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	
					तारीख जो श्रसम मेवालय, श्रहणा-	
					चल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
					नागालण्ड, त्रिपुरा, सिविकम,	
					जम्मू कश्मीर राज्य के लहाख खंड,	
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और	
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के	
					पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	
					प्रभविषयों के लिए विहित की गई	
					है )।	
A STATE OF THE STA					<u> </u>	
					सीधे भर्ती किए जाने	वाले व्यक्तियों के वि
प्रविश्यक : १५५ किली स	m=गता पा¢त विश	वविद्यालय से सांख्यि	की/गणित शैक्षिक ग्रहता	: हां	एक वर्ष ।	
/ Irifar	ही सदित । संक्रिया	ग्रनसंधान/भातिक ।	साम पा			
रार्ग गास्त	(सांख्यिकी सहित	वाणिज्य में (सांख्यिक	र साहत)			
मास्टर	डिग्री या कम्प्यूटर	इंजीनियरी/कम्प्यूटर	विज्ञात में			
ि डिग्री या	समत्तत्य ।					
(2) इलेक्ट्रोर	नक डाटा संसाधन	त/कम्प्यूटर आधारित	सूचना या सन्दर्भिमें			
ा. सांख्यिव	तीय तल का 10	(दस) वर्षं का अनु	कब्ध्य टर			
सं कम	स कम 5 वध का	अनुभव वास्तविक ग्रभिकल्प विकास, व	इस्ट्यटरीकृत			ri e
£ .	मण अर तल पा	Middle I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
कार्यक	महातस्थित बार	ते. संचयन और सुधा	र तंत्र से			
कार्यक	सञ्यवस्थित कर	ने, संचयन और सुधा	र तत्र स			
कार्यं क सूचना संबंधित	सुव्यवस्थित कर तिकसी उत्तरदायी	ते, संचयन और सुधा हैसियत में होना	र तत्न स नाहिए ।			
कार्यं क सूचना संबंधित	सुव्यवस्थित कर तिकसी उत्तरदायी	ते, संचयन और सुधा हैसियत में होना	र तत्न स नाहिए ।			
कायंक सूचना संबंधित गंछनीयः (1) तंत्र प्रशिक्ष	सुब्यवस्थित करा त किसी उत्तरदायी विष्लेषण/उन्नत व गण।	ने, संचयन और सुधाः हैसियत में होनाः कम्प्यूटर तंत्र पर व	र तत्र स बाहिए । जर्यक्रमण में			
कार्यक सूचना संबंधित गांछनीय: (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा	सुब्यवस्थित करने त किसी उत्तरदायी विश्लेषण/उन्नत व तण। ग्राधारित प्रबंध	ते, संचयत और सुधाः हैसियत में होताः कम्प्यूटर तंत्र पर व सुचना तंत्र के बि	र तत्न स ब्राहिए। जर्यकमण में कास या बडो			
कार्यक सूचना संबंधित गंछनीय: (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा पैनाने	सुब्यवस्थित करने त किसी उत्तरदायी विश्लेषण/उन्नत व तण। स्राधारित प्रबंध तपर सांख्यिकी र	ते, संचयन और सुधाः हिसियत में होनाः कम्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश् तर्वेक्षण का डाटा संस्	र तत्न स नाहिए । नार्यक्रमण में कास या बड़े साधन और ऐसे			
कार्य क सूचना संबंधित गंछतीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा पॅमाने उपयो	सुब्यवस्थित करने तिकसी उत्तरदायी विष्लेषण/उन्नतः व गण। स्राधारित प्रबंध पर सांख्यिकी र जन के लिए प्रति	ते, संचयत और सुधाः हैसियत में होताः कम्प्यूटर तंत्र पर व सुचना तंत्र के बि	र तत्न स नाहिए । नार्यक्रमण में कास या बड़े साधन और ऐसे			
कार्यं क सूचना संबंधित गंछनीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा प्रमाने उपयो	सुब्यवस्थित करते तिकसी उत्तरदायी विष्लेषण/उन्नतः व तण। आधारित प्रवंध । पर सांख्यिकी र जन के लिए प्रत्रि	ते, संचयत और सुधाः हैसियत में होताः कम्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विः वर्षेक्षण का डाटा संस्	र तत्न स नाहिए। जर्थकमण में कास या बड़े साधन औरऐसे स के क्षेत्र में			
कार्य क सूचना संबंधित गंछनीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा पं माने टपयो प्रनृष् (3) विभि	सुब्यवस्थित करते तिकसी उत्तरदायी विष्ठलेखण/उन्नतः व गण। आधारित प्रबंध पर सांख्यिकी र जन के लिए प्रत्रि विष्यु प्रत्रि विष्यु प्रक्रि	ते, संचयन और सुधाः हिसियत में होनाः कम्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश् तर्वेक्षण का डाटा संस्	र तत्न स नाहिए। जर्थकमण में कास या बड़े साधन औरऐसे स के क्षेत्र में			
कार्यं क सूचना संबंधित गंछनीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा प्रमाने उपयो प्रमुख्	सुब्यवस्थित करते तिकसी उत्तरदायी विष्लेषण/उन्नत व ज्याधारित प्रबंध तपर सांख्यिकी र जन के लिए प्रवि वि। का अपयोकताओं का भ्रमुभव।	ते, संचयत और सुधाः हिसियत में होताः स्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश् तर्वेक्षण का डाटा संस् ह्या सामग्री के विका	र तत्न स नाहिए। नार्यक्रमण में कास या वडे साधन औरऐसे स के क्षेत्र में			
कार्यं क सूचना संबंधित गांछतीय: (1) तंत्र प्रशिक्ष (2) डाटा पै माने उपयो प्रनुष (3) विभि देने टिप्पण:	सुब्यवस्थित करते तिकसी उत्तरदायी विष्लेषण/उन्नत व ज्ञाधारित प्रबंध तपर सांख्यिकी र जन के लिए प्रवि वि। इस उपयोक्ताओं का भ्रमुभव।	ते, संचयत और सुधाः हैसियत में होताः स्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश् त्वांसीण का डाटा संस् त्या सामग्री के विका को कम्प्यूटर से संबं	र तत्न स बाहिए। जर्यक्रमण में कास या वडे साधन और ऐसे स के क्षेत्र में धित प्रशिक्षण			
कार्य क सूचना संबंधित गंछनीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा पै माने उपयो अनु (3) विभि देने टिप्पण : (1) अहंत	सुब्यवस्थित करते तिवसी उत्तरदायी विवसेवण/उन्नत व गण। आधारित प्रबंध पर सांख्यिकी र जन के लिए प्रिव व । भ उपयोकताओं का भ्रनुभव। साएं भ्रन्यथा सुभ्रवि	ते, संचयत और सुधाः होता है सियत में होता है स्पृद्धर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश्व सुचना तंत्र के विश्व सिया सामग्री के विका को कम्प्यूटर से संबंध हुत भ्रभ्यायों की दश कानसार शिथल की	र तत्न स बाहिए। जर्यक्रमण में कास या बड़े साधन और ऐसे स के क्षेत्र में धित प्रशिक्षण में संघ लोक जा सकती है			
कार्य क सूचना संबंधित गंछनीय : (1) तंब प्रशिक्ष (2) डाटा पं माने टपयो प्रनृष् (3) विभि देने : [टपपण : (1) प्राह्	सुब्यवस्थित करते तिकसी उत्तरदायी विवलेषण/उन्नत व तण। प्राधारित प्रबंध त पर सांख्यिकी र जन के लिए प्रिन्न तव। म उपयोकताओं का भ्रनुभव। साएं भ्रन्यथा सुभ्रहि प्रायोग के विवे	ते, संचयत और सुधाः हैसियत में होताः स्प्यूटर तंत्र पर व सूचना तंत्र के विश् त्वांसीण का डाटा संस् त्या सामग्री के विका को कम्प्यूटर से संबं	र तत्न स नाहिए।  नार्यक्रमण में  कास या बड़े  साधन और ऐसे  स के क्षेत्र में  धित प्रशिक्षण  में संघ लोक जा सकती है			

जातियों के अभ्ययियों की दशा में तब शियिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित

रिक्तियों को भरते के लिए ग्रंपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समुदयों के ग्रंभ्यियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध

होने की संभावना नहीं है।

77

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

-T2

प्रोन्नति :

सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा उप निदेशक, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनिय्वित पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे प्रधिकारो . (क) (1) जो नियमित ग्राधरा पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। या

- (2) जिन्होंने 3000-5000 ह. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (2) जिन्होंने 3000-4500 रु. या समतुत्य वेतनमान वाले पदों पर 5 (पांच) वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के प्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित गैक्षिक ग्रहेताएं और ग्रनुभव हैं।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में जिन्होंने श्रपनी प्रहेंक/ पावता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनकी सेवा भ्रपेक्षित भ्रहेंक/पान्नता सेवा से एक वर्ष से श्रधिक से कम न हो और उन्होंने भ्रपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

षोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय प्रधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिय्क्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति ज्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विवार किए जाने के पान नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की भवधि, जिसके भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भ्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिय्वित की भ्रवधि साधारणतया 4 (चार वर्ष) से ग्रधिक नहीं होंगीं।

प्रतिनियं नित पर स्थानान्तरण (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण द्वारां नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भावेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नात के संबंध में विचार करने के लिए) :

- ग्रह्मक्ष |सदस्य, संघ लोक सेवा ग्रायोग--ग्रह्मक्ष
- महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय विभाग—सदस्य ।
- मुख्य कार्य पालक प्रधिकारी, राष्ट्रीव नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग--सदस्य।
- कार्यपाल निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग--सदस्य ।

समृह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए):

- 1. सचिव, सांख्यिकी विभाग--- प्रध्यक्ष
- 2. महानिदेश केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग---सदस्य।
- मुख्य कार्यपालक ग्रधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग--सदस्य
- कार्यपालक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिको विभाग—सदस्य ।

टिप्पण: सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नित सिमिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा भायोग के अनु-मोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रव्यक्ष या किसी सदस्य की श्रव्यक्षता में फिर से होंगी।

सीधी मर्ती और किसी मधिकारी की पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा भायोग से परामर्श करना भावश्यक है।

ग्रावश

(1)

ৰাভ

(1) (2)

(3)

fru

	2	12	5
_			

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 18, 1993 प्रमहायण 27, 1915

3C. 3(i)] [भाग II—खण्ड 3(i)]

क, जिसने

विकारो . ए हुए हैं,

पदों पर

ने वाले

घईक/ कया जा रिक्या ह/पालता धपनी

त्रीपंक्तित केपान

विवार

के उसी

र पहले

ं भवधि

संविदा

ु सीमा

प्रधिक

1	2	.3	4	5	6	7
. उप निदेशक	12*	साधारण केन्द्रीय सेवा	3000-100-3500-	चयन	40 वर्षं से ग्रधिक नहीं	नहीं
	(1993)	समूह 'क' राजपत्नित	125-4500 €.		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	
	*कार्यभार के	धननुसचिवीय			भ्रतुदेशों या भ्रादेशों के भ्रतुसार	
•	श्राधार पर				सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष	
	परिवर्तन				तक शिथिल की जा सकती है।)	
	किया जा				टिप्पण : भ्रायु सीमा श्रवधारित करने	
	सकता है।				के लिए निर्णायक तारीख भारत में	
					श्रभ्यथियों से श्रावेदन प्राप्त करने	
					के लिए नियत की गई अंतिम तिथि	
					होगी । (न कि वह अंतिम तारीख	
					जो ग्रसम मेघालय श्रहणाचल	
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नावालैंड,	
					विपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर	
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	
					प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले	
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या	
					लक्षद्वीप के अभ्याधियों के लिए	18
	<b>3</b>				विहित की गई है) ।	
					of their Security State was represented and and applicate their sect and decrease for their sect and applications are applications and applications and applications are applications and applications and applications are applications are applications and applications are applications are applications and applications are applications are applications are applications and applications are applications are applications are applications are applications are applications and applications are applications and applications are applica	

प्रावश्यक :

(1) िकसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांिब्यकी/पणित (सांिब्यकी संहित)/संिक्या अनुसंधान/गौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र (सांिब्यकी सहित)/वाणिज्य में (सांिब्यकी सहित) मास्टर डिग्री या कम्प्यूटर डंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।

(2) इलेक्ट्रोनिक डाटा संसाधन/कम्प्यूटर ग्राधारित सूचना या सांख्यिकीय तंत्र का 7 (सात) वर्ष का ग्रनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष ग्रनुभव वास्तविक कंप्यूटर कार्यकमण और तंत्र या ग्रमिकल्प विकास, कम्प्यूटरीकृत सूचना सुब्यवस्थित करने, संचयन और सुधार तंत्र से संबंधित किसी उत्तरदायी हैसियत में होना चाहिए।

षांछनीय :

- (1) कम्प्यूटर प्रकिया सामग्री/तंत्र ग्रभिकल्प में श्रनुसंधान का श्रनुभव।
- (2) मुख्य केम/सुपरिमनी कम्प्यूटर तंत्र कार्य कमण/तंत्र श्रिभिकल्प/ तंत्र विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण।
- (3) बड़े पैमाने पर डाटा संसाधन उपयोजन का ध्रनुभव।
- (4) विभिन्न उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण देने का प्रनुभव।

टिप्पण:

- (1) श्राह्मताएं अन्यथा मुश्रीहत ग्रभ्याथयों की दशा में संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- (2) श्रनुभव संबंधी श्रष्ट्ठंता (श्रष्ट्ठंताए) संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार श्रनुसूचित जातियों और श्रनुसूचित जानजातियों के श्रभ्यथियों की दण। में तब शिषिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा श्रायोग की यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के श्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

श्रायु : नहीं शैक्षिक ग्रहंता : हां सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

नयुक्तिः करनाः

(2)

(1) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

(2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

प्रोन्नति : सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में ऐसा सहायक निदेशक, जिस्ते उस श्रेणी में 5 (पांच) वर्ष निवमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :

- (क) (1) जो नियमित ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (2) जिन्होंने 2200-4000 रू. या समतुत्य वैतनमान वाले पदों पर् पांच वर्षं नियमित सेवा की है; या
- (3) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पर्हें पर ग्राठ वर्ष निभमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 6 के प्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्याक्तयों के लिए विहित ग्रीक्षक प्रहेता और प्रनुभव है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ट व्यक्ति के संबंध में, जिन्होंने प्रपनी प्रहेंक पावता सेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया ग रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पावता सेवा से एक वर्ष से प्रधिक से कम न हो और उन्होंने भ्रपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ग्रधिकारी, जो प्रोन्नति की सीघी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाव

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विवार किए जाने के पान नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की धवधि जिसके ध्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी ग किसी भ्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से लीक पहले धाति किसी भ्रत्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की गवाध है साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके भ्रन्तर्गतं ग्रल्पकालिक संविदा भी है/स्थानान्तरण द्वारा नियुनित के लिए अधिकतम ग्रायु सीमा ग्रावेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।

सम् ह 'क' विभागोय प्रोच्चति समिति : (प्रोत्रति के संबंध में विचार करने के लिए):

- 1. ग्रह्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग- ग्रह्यका।
- , 2. कार्यपालक निदेशक या ग्रपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग- -
  - उप सचिव, सांख्यिको विभाग- सदस्य ।

समृह 'क' विभागोय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिए) :

- 1. कार्यपाल निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग- अध्यक्ष।
- 2. अपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग-- सदस्य।
- 3. उप सचिव, सांख्यिको विभाग- सदस्य।

टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रीचिति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा यायोग के अनुमोदनार्थ मेजो जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग छनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रयोग के ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

सीध भर्ती और किसी अधिकारी को पद पर प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श करना प्रावस्थ

भाग∏—खण्ड 3	(i)]		भारत का राजपत्न : दिस	म्बर 18 199	3/ग्रग्रहायण 27, 1915		212
1	2	3	4	. 5	6	7	
	₹ 29*	साधारण केन्द्राय सेवा,	2200-75-2800-	चयन	35 वर्ष से ग्रधिक नहीं	ξİ	
4. सहायक ।नदश			द.रो100-4000		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कि	् गए	
F-5		8.0	€0		ग्रादेशों या ग्रादेशों के अनुस		
		बन <b>्</b> तुसाचवाव	6.0		सरकारी सेवकों के लिए पांच		
	श्रादार पर				तंक शिथिल की जा सकती है		
	परिवर्तन				टिप्पण : ग्रायु सीमा ग्रवधारित व		
	किया जा				के लिए निर्णायक तारीख भार		
	गकता है।				ग्रन्यथियों से ग्रावेदन प्राप्त क		*
					लिए नियत की गई अंतिम र		
	•				होगो । (न कि वह अंतिम त।		
					जो ग्रसम, मेघालय, ग्रहण		
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नाग		
					विपुरा, सिनिकम, जम्मू क		
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमा		
					प्रदेश के लाहील और स्पीति		
					तथा चम्बा जिले के पांगी		
					अंडमान और निकोबार द्वीप य		
					द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए		
					गई है)।		
		4					
<u> </u>							
			it.				
	8			9		10	
पावश्यक:				ग्रायु : नहीं		( जाने वाले व्यक्तिय	में के
(ப) கெரி பட	वार्याप्राप्त विश्ववि	द्यालय से सांख्यिको/न	र्णित	शैक्षिक अह	ताएं: हां 1 (एक)	वर्षे ।	
(माहित्रक्ती स	हिरो/संक्रिया अन	मधान/भौतिक विज्ञान	या ग्रर्थ-				
प्राप्त में	(माडियको महित्	म(स्टर डिग्री या	कम्प्यूटर				
इंजानियरी/क	स्पटर विज्ञान में	डिग्री या समतुल्य ।	100 E 100 / 100				
		कम्प्यूटर ग्राधारित स्	चनो या				
माहितकेल	ਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਤ ਵਿੱਚ	व) वर्षका ग्रनुभव (	जसमें कम				
में कम जो	त वर्षका ग्रह्म	व वास्तविक कम्पूट	र कार्यक्रमण				
योग संग्र	त नुत्र सा अनुस् सा ग्राधिकल्प नि	कास, कम्प्यूटरीकृत	सुचना				
मार तल १	करते संचयन औ	र मुधार तंब से संबंधि	वन किसी				
	संयत में होना चाहि						
शुंछनीय :			arfewa a				
(।) ग्रविमानत	ाः कम्प्यूटर तंत्र	पर प्रक्रिया सामग्री	अभिनल्प				
	में औपचारिक प्रशिक्ष						
		धन उपयोजन में अन्					
(३) विभिन्न	उपयोक्ताओं को	कम्प्यूटर से संबंधित	प्रशिक्षण				
देने का ग्र							
frequi :	SCIE-						
Control of the Contro		क्षितां की बना में	ய்ய னிக				
महेताएं अ	त्यथा सुम्राहत स्र	पथियों की दशा में	त्त्र स्थाप जिल्हे ।				
		िषाधिल को जासन					
1 ग्रनुभव सं	वंदी अहीता (अहीत	ıएं) संघ लोक <b>सेवा</b>	भ्रायान के ि				
वि रेकानमार	् ग्रनस्वित जाति	यों और ग्रनुसूचित ।	जनज। तिया				
	war are the same and the		ETC 3 (31)				
के ग्रभ्यायि	में को दशा में त	व शिथिल की जा स	मता ६ (६)				
जब चयन	के किसी प्रक्रम	पर संघ लोक सेवा	भ्रायोग कें।				
्रा वब चयन यह राय	के किसी प्रक्रम है कि उनके लिए	व शिथल का जा सर पर संघ लोक सेवा ए द्यारक्षित रिक्लियों सले उन समदायों के	ग्रायोग कें। को भरने के				

लिए ग्रेपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन समुदागों के ग्रभ्यथियों के पर्योप्त संख्या में उपलब्ध होने का संमावना नहीं है ?

774 GI|93—2.

- (1) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणद्वारा।
- (2) 80 प्रतिभात सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधृत्वित 'पर स्थानान्तरणद्वारा।

प्रोन्नति :

विभाग के कष्ट्रयूटर केन्द्र में ऐसा ज्येष्ठ डाटा संसाधन सहायक, जिसने उस श्रेणी में 5 (पांच) वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनिय्वित परस्थानान्तरण:

the state of

12

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे ग्रधिकारी :

- (क) (1) जो नियमित ग्राधार पर सदृषा पद धारण किए हुए हैं;
- (2) जिन्होंने 2375-3500 ह. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर
   2 (दो) वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (3) जिन्होंने 2000- 3500 रु. या समतुत्य वेजनमान वःले पदों पर हुई 3 (तीन) वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ ८ के ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यविसयों के लिए विहित शैक्षिक ग्रह्ताएं हैं।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपना अहंक/ पालता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएका परन्तु यह तब जबिक उनकी सेवा अपेक्षित अहंक/पान्नता मेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारों, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतितिधुवित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके प्रत्यांत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी प्रत्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठाक पहले धारित किसी यत्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति का अवधि है, साधारणतगा 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनयुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके प्रतापन प्रत्यानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम प्रायु सीमा प्रविक्त प्राप्त होने की बंदिम तारीख को 56 वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।

12

समूह ''क'' विभागीय प्रोच्चति समिति (प्राचनि के संबंध में विचार करने के लिए ) :

- 1. ग्रह्यक्ष/सदस्य, संघ लीक सेवा ग्रायोग- ग्रह्मक्ष
- 2. अपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिका विभाग- सदस्य।
- उप मिनव, सांख्यिका विभाग- सदस्य ।

सगृह 'क' विभागाय प्रौन्नित समिति (पुष्टि के लिए) :

- ग्रपर निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग- ग्रध्यक्ष
- 2. ज्येष्टतम संयुवत निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र, सांख्यिकी विभाग- सदस्य
- उप स्वित, सांख्यिको विभाग सदस्य ।

टिप्पण: साधे मर्तो किए जाने बाले व्यवित को पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोज्ञति समिति का कार्यवाहियां, संघ लाक, मेवा शायोग के अनु-मीदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोज्ञति समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगा। मीजो भर्ती और किसी अधिकारी की पद पर प्रतिनियुनित पर नियुनित के लिए चयन करते समय, संघ लोक सेवा आयीग से प्रतिमार्ग करता आवण्यक है।

as kip. EV kik.

· Tappe be (g)

· comment in the first

[सं॰ ए-12011/1/90-प्रणा॰-I/(सी॰सं॰) के एन सिंह, ज्रप मुनिद् F./

जा

वा

ता

नी

वत

18

1 F.133

सी ।) हों हों (च , दत (दत ) (दन )

TIG

ि) है चिव

# MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 17th November, 1993

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Computer Centre (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1972 and the Computer Centre, Department of Statistics, Additional Director, Group 'A' (Computer Centre), Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Director. Joint Director, Deputy Director and Assistant Director in the Computer Centre. Department of Statistics under the Ministry of Planning, New Delhi, namely:—

- 1. Short title and commencement.—These Rules may be talled the:
- (1) Computer Centre, Department of Statistics (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1993.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed with these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay

attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.
  - 5. Disqualification.-No person,
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
    - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes/Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba, District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman & Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

# SCHEDULE

11				
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	
Name of post	2	3	4	
1. Additional Director	1* (1993) *Subject to variation de- pendent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted non- Ministerial.	Rs. 4100-125-4850-150- 5300	
Whether selection post or non-se		Age limit for direct red	cruits	
Whether scientish per		6		
Selection	(Relaxable instructi Note.—The closing (and no	for Govt. servants upto 5 y ons or orders issued by the crucial date for determining date for receipt of application to the closing date preservaya, Arunachal Pradesh,	g the age limit shan be the on from candidates in India ribed for those in Assam, Mizoram, Manipur,	

Whether benefits of added years of service ad- Educational & other qualifications required for direct recruits. missible under Rule 30 of the the CCS (Pension) Rules, 1972.

8

Yes

### Essential:

- (i) Master's degree in statistics/Mathematics (with Statistics)/-Operation Research/Physics or Economics (with Statistics) or degree in Computer Engineering/Computer Science of a recognised university or equivalent.
- (ii) Twelve years experience of Electronic Data Processing Computer oriented information or Statistical System out of which at least 6 (six) years experience should be in responsible. capacity in actual Computer Programming and System or design development, organising computerised information storage and retrievel systems.
- Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretions of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

## Desirable:

- (i) Master's degree in Computer Engineering/Computer Science of Doctorate in any of the other subject mentioned in essential qualifications.
- (ii) Training in System Analysis/Programming on advanced Computer Systems.
- (iii) Experience in the field of development of data base management information system or processing of large scale statistical survey data & software development for such applications.
- (iv) Experience in providing computer related training to various users.

Whether age & educational qualifications pres - Period of probation, if any. cribed for direct recruits will apply in the case of promotees.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/transfrer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.

9

10

11

Age: No Educational Qualification

Yes

1 (One) year for direct recruits.

By promotion failing which by transfer on deputation & failing both by direct recruitment.

necessary

[(i)

7/5 s s ) o a a a

8/11

of

le

n

C

ole !

nyia

nt

he

he

e or

ial

ed

ge-

tis-

ns.

ous

her roage by

by

ling

In case of recruitment by promotion/deputation/ If a DPC exists what is its composition Circumstances in which transfer, geades from which promotion/deputation/ lransfer to be made

UPSC is to be consulted making recruitment

12

13

14

making

recruitment and selecting

Commission

while

Promotion: Joint Director in a Computer Cenhe of the Deptt. of Statistics with three years regular service in the grade.

Transfer on deputation: Officers of the Central/State Government/Union Territories. 2. Director General, Central Statistical officers for appointment (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; or (iii) with seven years regular service in post in the scale of Rs. 3000-5000 or equivalent : and 4. Executive Director, Computer Cen-(b) possessing the educational qualifications and tre, Deptts. of Statistics—Member experience prescribed for direct recruits under Column 3.

Note.—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered 2. Director General, Central Statistics for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualification/eligibility service by more than one 3. Chief Excecutive Officer, National year and have successfully completed their probation period.

The Departmetal Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appoint ment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediate, meeting of the DPC to be presided ly preceding this appointment in the same, or, some other organisation/department of the central Government shall ordinarily not, exceed 4 (Four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/(transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

Group 'A' DPC (for considering pro- Consultation with the motion):

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.
- Organisation, Department of Statis- to the post on deputation tics-Member.
- 3. Chief Executive Officer, National. sample Survey Organisation, Department of Statistics-Member.
- Group 'A' DPC (for confirmation):
- 1. Secretary, Department of Statistics-Chairman.
  - Organisation, Department of Statistics-Member.
  - Sample Survey Organisation, Department of Statistics.
  - 4. Executive Director, Computer Centre Department of Satatistics-Member Note.—The proceedings of the relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval, If, however, these are not approved by the Commission a fresh over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

1

3

4

2. Joint Director

4 (1993)\* \*Subject to variation dependent on workload.

General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial

Rs. 3700-125-4700-150-5000

Not exceeding 45 years. Selection (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.). Note.—The crucial date for determining the age limit sall be the closing date for receipt of applications from candidates in Inda (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalay Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh the Union territory of Andaman & Nicobar Islands on Union Territory of Lakshadweep). 1,000 Essential: Yes. (i) Master degree in Statistics/Mathematics (with Statistics) Operation Research/Physics or Economics (with Statistics) Commerce (with Statistics)/or degree in computer Engineering Computer Science of a recognised University or equivalent (ii) 10 (Ten) years experience or Electronic Data Processing Computer oriented information or Statistical system out of which at least 5 years experience should be in responsible capacity in actual computer programming and system or design organising development, organising computerised information storage and retrievel system. Note 1: Qualifications are relexable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidate phelong ing to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidatses from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Training in system analysis/programming on advanced computer System. (ii) Experience in the field of development of data base management information system or processing of large scale statistical survey data and software development for such applications (iii) Experience in providing Computer related training to various users. 10 11 Age: No One year for direct recrits. By promotion failing which by transfer on deputation & Educational qualification :Yes failing both by direct recruit-

ment.

de la cimpa.

F ) Salt le

Felial robins

that a make a

In case of re-

Transler with the sall be the ates in India , Meghalaya, id, Tripura. piti Districts hal Pradesh, ...on (Union)

at dua (ii) the scale v (iii) with the almost out 

the same right. . mania) 1 31 1 Statistics)/ Statistics)/ Engineering equivalent Processing/, stem, out of responsible stem or deimputerised, ic its ad ion

f the UPSC d ton limbs relaxable at te jubelongi) at, any stage, entinumber! he requisite te vacancies (Four) year

1 monumon advanced vears, as as

nanagement e statistical applications gto various

ing which by eputation & rect recruit-

11

12

Promotion, Deputy Director in Computer Cen- Group 'A' DPC (for considering protre of the Deptt. of Statistics with five years of regular service in the grade management of the tell. Chairman/Member, UPSC -Transfer on deputtaion and admin deput and Chairman Officers of the Central/State Government/Union 2. Director General, Central Statis-Territories State on Manapur Triputa Statum et Prade de State on Manapur Triputa Statum en et 1818 State I aband & Sput District and Talus (a)(i) holding analogous posts on regular basis; oriali di pi dana la domi " a mutar/.

(ii) with four years regular service in posts in the scale of Rs 3000,5000 or equivalent; or

firthe scale of Rs 13000-4500 or equivalent; and Department of Statistics—Member

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

. 41

Note, Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the 3. Chief Executive Officer, National requisite quaification/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period.

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly.—Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 4 (four) years. The medium age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not exceed 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

motion)

tical Organisation, Department of the post on deputation. Statistics Member

3. Chief Exentive Officer, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics—Member

(iii) with 5(five) years regular service in posts and the Department of Statistics—Member

Group 'A' DPC (for confirmation)

1. Secrtary, Department of Statistics-Chairman.

2. Director General, Central Statistical Organisation Department of Statistics- Member.

Sample Survey Organisation, Department of Statistics-Member.

4. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics

Note.—The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commispresided over by the Chairman of a Member of the UPSC shall be held,

Consultation with the

Commission necessary while making direct .recruitment and selecting officer for appointment to

sion for approval. If, however, these are not approved by the commission. a fresh meeting of the DPC to be

and the first of the

arrays not be to be only dr 3

3. Deputy Director

\*12(1993) pendent on workload.

2

General Central Service Rs. 3000-100-3500-\*Subject to variation de- Group 'A' Gazetted. 125-4500 Non-Ministerial

Off

tor

(a)

(ii

(iii

The

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPS in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these comunities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them.

## Desirable:

- (i) Evidence of research in Computer Software/System design.
- (ii) Formal training in programming/systems designing systems analysis on main frame/supermini computer system.
- (iii) Experience of large scale data processing application.
- (iv) Experience in providing computer related training to various users.

13

14

necessary while mak-

ing direct recruitment

and selecting officer

for appointment to

the post on deputatio n

Promotion: Assistant Director in Computer Cen- Group 'A' DPC (for conidering promotion) Consultation with tre of the Department of Statistics with 5 (five) 1. Chairman/Member, UPSC.—Chairman years regular service in the grade.

Transfer on deputation:

Officers of the Central/State Govt./Union Terri-

- (a) (i) holding analogus posts on regular basis:
- (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
- (iii) with eigkt years regular service in in the scale of Rs. 2000-3500; or equivalent
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.
- Note Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifications/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period.
- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.
- Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/department of the Central Govt shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (includ ing short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

- Executive Director of Additional Director Computer, Centre Department of Statistics-Member.
- 3. Deputy Secretary, Department of Statistics—Member

Group 'A' DPC (for confirmation)

- 1. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics-Chairman
- 2. Additional Director, Computer Center, Department of Statistics-Member
- 3. Deputy Secretary, Department of Statistics-Member

Note -The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

		3	4	5	6	
1	2	J		Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	
4. Assistant Director	Subject to Service Group ' variation Gazetted	-01	2800-EB-100- 4000	Selection		
					Note: The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not	

of P

Rs.

ed

fyin

pro pro

tion

suc

in th

COL

cor

in a this

de

exc

ap

56